फैसला 186 05.7.2021

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	बनाम	अभियुक्त/अप्रार्थी
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		लसाराम कुम्हार पुत्र जेठाजी कुम्हार, जाति–कुम्हार, निवासी– दरबार स्कूल के सामने, आबूरोड़, जिला–सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
	फर्म:	चारभुजा मिष्ठान भण्डार, दरबार स्कूल के सामने, आबूरोड़, जिला–सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्या: 40/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
05.7.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त लसाराम कुम्हार के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 05.7.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी लसाराम कुम्हार उपस्थित हुये। प्रतिवादी लसाराम कुम्हार को नोटिस एवं आरोप पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णयन आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी लसाराम कुम्हार ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरोही श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 26.3.2021 को जिस पनीर का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच रिपोर्ट में सब स्टेंडर्स पाया गया है। जिस दूध से पनीर बनाया था वह दूध में डेयरी से लाया था तथा अब मैनें उस डेयरी से दूध लेना बन्द कर दिया है। दूध में मैनें मेरी ओर से कुछ भी नहीं मिलाया था। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और मुश्किल से गुजर बसर कर रहा हूँ। यह मेरी प्रथम गलती है, भविष्य में गलती नहीं करूंगा। मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ इस प्रकरण में मुझे मुक्त किया जावे। ......लगातार	लसाराम 05/07/2021

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.40/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

प्रकरण में प्रतिवादी लसाराम कुम्हार द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 26.3.2021 को समय 3.45 पी.एम. पर फर्म चारभुजा मिष्ठान भण्डार, दरबार स्कूल के सामने, माउन्ट रोड, आबूरोड़, जिला-- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी लसाराम कुम्हार पुत्र जेठाजी कुम्हार, जाति– कुम्हार, निवासी– दरबार स्कूल के सामने, माउन्ट रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान में डीप फ्रिज के अन्दर स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद पनीर लगभग 2 किलोग्राम में से एक किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1393 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./288/Act/2021/386 दिनांक 19.4.2021 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म चारभुजा मिष्ठान भण्डार, दरबार स्कूल के सामने, आबूरोड, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता लसाराम कुम्हार ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.40/2021	अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत लसाराम कुम्हार पुत्र जेठाजी कुम्हार, जाति– कुम्हार, निवासी– दरबार स्कूल के सामने, माउन्ट रोड, आबूरोड, जिला– सिरोही, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चारभुजा मिष्ठान भण्डार, दरबार स्कूल के सामने, माउन्ट रोड, आबूरोड, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 9,000/– (अक्षरे रुपये नौ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी लसाराम कुम्हार को आदेशित किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी आयन्दा दिनांक 20.7.2021 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:33 IST
Reason: SelfAttested